


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की सुनवाई एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) फुलजेन्स तिग्गा पिता- पौलुस तिग्गा, 2.) अनुपा खलखो पति- फुलजेन्स तिग्गा; गांव- ठेठांगी, थाना- पिपरवार, थाना नं.- 86 जिला- चतरा (झारखण्ड) के निवासी के गांव- ठेठांगी; (गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी भूमि) खाता संख्या- 1; प्लॉट संख्या- 60, 60/5 ; गांव- सिडालू खाता संख्या- 10; प्लॉट संख्या- 73; कुल रक्का - 4.00 एकड़ (गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी भूमि) बन पट्टा 03.88 एकड़ एवं रैयती भूमि 0.12 एकड़) के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा / आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक (पिपरवार क्षेत्र), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।



6.01.25